गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

Witness Protection Scheme

Guardians of Truth: Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 Unveils the Shield of Witness Protection

Witnesses: Pillars of Justice, Voices of Truth

Witnesses play a pivotal role as the 'eyes and ears of justice,' guiding the court towards truth and justice. The law aims to protect witnesses from harm and ensure their safety.

Safeguarding Justice: Witness Protection Scheme

A significant stride: Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 introduces the Witness Protection Scheme, acknowledging the critical need to shield witnesses from threats and intimidation.

Responsive Legal Framework: Aligning with Judicial Observations

The State Governments are entrusted to prepare and notify a Witness Protection Scheme. A 'Witness Protection Scheme, 2018 has been drafted and endorsed by the Hon'ble Supreme Court in its judgment in Mahendra Chawla v UOI. They are aimed at guarding the society against criminal misconduct, deterring law-breakers and penalising those who violate or attempt to violate laws, and protecting witnesses from harm and ensuring their safety.

Section 398: A Game-Changer in Witness Safety

This groundbreaking addition ensures that witness safety becomes an integral part of the criminal procedural framework whereby every State Government is mandated under Section 398 to prepare and notify a Witness Protection Scheme (WPS).

Witness Protection: Upholding the Right to Testify Without Fear

The new law for the Witness Protection Scheme stands as a formidable shield, safeguarding witnesses against threats, intimidation, and injury.

Witnesses, Our Silent Heroes: Advocating for Justice

The new law clearly emphasises that Witness Protection is not just a legal provision but a commitment to Justice.

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

गवाह संरक्षण योजना

सच्चाई के संरक्षक: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 ने गवाह संरक्षण की ढाल का अनावरण किया!

गवाह: न्याय के स्तंभ, सत्य की आवाज

गवाह 'न्याय की आंख और कान' के रूप में अदालत को सत्य और न्याय की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानून का उद्देश्य गवाहों को नुकसान से बचाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

न्याय की सुरक्षा: गवाह संरक्षण योजना

एक महत्वपूर्ण प्रगति: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने गवाहों को धमकियों और डराने-धमकाने से बचाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार करते हुए गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की।

उत्तरदायी कानूनी ढांचा: न्यायिक टिप्पणियों के साथ तालमेल

राज्य सरकारों को गवाह संरक्षण योजना तैयार करने और उसे अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है। गवाह संरक्षण 2018 का प्रारूप तैयार हो गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महेंद्र चावला बनाम भारत संघ में दिए गए अपने निर्णय में इसे संस्तुति भी दे दी है। इसका उद्देश्य आपराधिक आचरण के खिलाफ समाज की रक्षा करना, कानून तोड़ने वालों को रोकना और देश के कानूनों का उल्लंघन करने या प्रयास करने वालों के अलावा गवाहों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उन्हें नुकसान से बचाना है।

धारा 398: गवाह सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम

यह अभूतपूर्व वृद्धि सुनिश्चित करती है कि गवाहों की सुरक्षा आपराधिक प्रक्रियात्मक ढांचे का एक अभिन्न अंग बन जाए और प्रत्येक राज्य सरकार को धारा 398 के तहत गवाह संरक्षण योजना (डब्ल्यूपीएस) तैयार करने और अधिसूचित करने का आदेश दिया गया है।

गवाह संरक्षण: बिना किसी डर के गवाही देने के अधिकार को कायम रखना

गवाह संरक्षण योजना के लिए नया कानून एक मजबूत ढाल के रूप में खड़ा है, जो गवाहों को धमकियों, डराने-धमकाने और चोट से बचाता है।

गवाह, हमारे मूक नायक: न्याय की वकालत

नया कानून स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देता है कि गवाह संरक्षण सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि यह न्याय के लिए प्रतिबद्धता है।